

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

कमांक-एफ.1(41)परि./स्था./2008 पार्ट-1/11500
आदेश


जयपुर, दिनांक 28/5/18

राजस्थान परिवहन सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत सहायक परिवहन आयुक्त कम अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से उप परिवहन आयुक्त कम प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 2017-18 की रिक्ति के लिए दिनांक 25.05.2018 को सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार निम्न को उप परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

1. श्रीमती रानी जैन

श्रीमती जैन को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिनांक 01.04.2017 व नकद लाभ कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।



(डॉ मनीषा अरोड़ा)
अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)
एवं संयुक्त शासन सचिव

कमांक-एफ.1(41)परि./स्था./2008 पार्ट-1/11501-510

जयपुर, दिनांक 28/5/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान, जयपुर
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अति. मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अति.निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव, राज.जयपुर।
6. सिस्टम एलालिस्ट को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. श्रीमती रानी जैन, अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, मुख्यालय, जयपुर।
8. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/जिला परिवहन अधिकारी
9. संबंधित अधिकारी की निजी पत्रावली
10. रक्षित पत्रावली


अपर परिवहन आयुक्त(प्रशा.)